285/17 वाद

20-4-17 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रतिवादी क्र० 2, 3 व 4 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। जिसकी नकल वकील वादी को दी जावे। वास्ते जवाबदावा की नकल वकील वादी को दी जावे। वास्ते जवाबुलजवाब वादी को देने हेतु पत्रावली दिनांक 11-5-17 को पेश हो।

न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर करेड़ा (भीलवाड़ा)

12.6.17 पत्रावली कैम्प ...रामपुरिया... को पेश हुई।
आगामी दिनांक ...17.8.17... को पेश हो।

पत्रावली न्यायालय उपखंड अधिकारी मांडल से मुन्तकिल होकर प्राप्त हुई। इन्द्राज रजिस्टर दर्ज कर पक्षकारान के अधिवक्ता को अग्रिम पेशी पर रजिस्टर्ड पत्र से सूचित करें। पत्रावली दिनांक 20/2/18 को वास्ते आगामी कार्यवाही हेतु पेश हो।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

20/2/18 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी की ओर से वकील भागुलाल गुर्जर ने उपस्थिति दी। नकल जवाब देने हेतु पत्रावली दिनांक 11/6/18 को पेश होवे।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

30.5.2018 पत्रावली लोक अदालत शिविर मुकाम रामपुरिया पर प्रस्तुत हुई।
प्रकरण का मेरिट के आधार पर अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के मुताबिक वादग्रस्त भूमि ग्राम रामपुरिया तहसील करेड़ा की जमाबंदी संवत 2070-73 के अनुसार खातेदारी संख्या 318 जिसका रकबा 1.11 बीघा होकर अन्य खातेदारी संख्या 319 कुल किता 06 रकबा 5.18

न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर (कोटड़ी) / या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 285/17 वाद	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वीवा भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 मोहन पुत्र लाल कुमावत के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 06 एक ही पिता रूपलाल प्रतिवादी संख्या 01 की संतानें है। वादी चाहता है कि उसके पिता रूपलाल के नाम उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में स्वयं वादी सहित प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 सभी का 1/7 - 1/7 एक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित किए जाने की घोषणा न्यायालय द्वारा की जाकर तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाई जावें। इसके विपरीत प्रतिवादी संख्या 02, 03 व 04 का जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जो शा०फा० है। उनका इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत हुआ है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 02, 03, व 04 द्वारा मूल राजस्व वाद का समर्थन करते हुए इकबालिया जवाबदावा पेश करते हुए न्यायालय से मुताबिक वाद पत्र स्वीकार किए जाने हेतु निवेदन किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 के विरुद्ध तथा अन्य प्रतिवादी संख्या 05, 06, 07, व 08 के विरुद्ध दिनांक 15.10.2015 को एकतरफा कार्यवाही अमल	

तारीख हुक्म	न्यायालय ... पदेन सहायक कलेक्टर ... (भीलवाड़ा) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 285/17 वाद
	में जारी करने के आदेश पूर्व में ही पारित हो चुके है।
	अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-89 एवं 188 का कोई प्रतिरोध पेश नही हुआ है।
	अतः न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किए जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नही है।
	वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है तथा जो राजस्व अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध है उसके मुताबिक वाद ग्रस्त संपदा पैतृक संपति है।
	अतः जो सम्पदा प्रतिवादी संख्या 01 सुवालाल को अपने पिता दोला जी से प्राप्त हुई है वह पैतृक सम्पदा होने से उत्तराधिकार से प्राप्त सम्पदा में वादी के सहित प्रतिवादीगणों का भी समान रूप से हक हिस्सा निर्धारित होकर कानूनन उसे प्राप्त के हकदार होते है।
	अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किए जाने योग्य है तथा प्रतिवादी संख्या 01 के अतिरिक्त रकबा वादी एवं प्रतिवादी

न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज करेड़ा (भीलवाड़ा) 285/17 वाद	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
संख्या 02 लगायत 06 को नीज वाद ग्रस्त भूमि का अर्थात प्रत्येक को $\frac{1}{7}$ - $\frac{1}{7}$ हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। : आदेश : अतः रामपुरिया स्थित खातोनी संख्या 318 किता 01 रकबा 1.11 बीघा एवं खतोनी संख्या 319 किता 06 रकबा 5.08 बीघा वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने के कारण ग्राम रामपुरिया की आराजी नं. 318/1 किता 01 रकबा 01.11 एवं इसी प्रकार आ.नं. 318/2, 694, 702, 704/1, 1036/695 एवं 1037/701 कुल किता 06 रकबा 5.08 बीघा भूमि जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम तन्हा दर्ज रेकार्ड है के साथ-साथ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 06 (वादी सहित) प्रत्येक का $\frac{1}{7}$ - $\frac{1}{7}$ हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं। पालनार्थ तहसीलदार करेड़ा को लिखा जावे।	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कोटड़ी (भीलवाड़ा) 285/17 वाद	नम्बर अहकाम हुक्म म
	तदनुसार डिक्री मुरत्तिब हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 30.05.18 को खुले इजलास सुनाया गया।	
	उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी सहायक कलक्टर कोटड़ी	

प्रपत्र-5

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ......बरेठ......

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- उपखण्ड अधिकारी बरेठ

पार्वती कुमावत नि. रामपुरिया ..... उनवान बनाम (1) सुवालाल कुमावत वगैरह

दावा बाबत ...... U/S 88, 89 एवं 188 RTAct

मुकदमा नम्बर :- 285/17 (पुराने नं. 126/15 रा.वा.)

निर्णय दिनांक :- 30/5/18

वादी की ओर से ...M.D. शर्मा... की व प्रतिवादी की ओर से ...J.C. Jain...

की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ...30/5/18... को ...रजनी माथुर... (नाम पीठासीन अधिकारी)

उपखण्ड अधिकारी ......बरेठ...... के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

~~वादी का वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाने से तथा प्रतिवादी सं. 1 के अतिरिक्त स्वयं वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ... को वादग्रस्त भूमि का अर्थात् प्रत्येक का 1/3 - 1/3 हकहिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा ग्राम रामपुरिया की आराजी 37 8/1 रकबा 1.11 बीघा एवं~~

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

(*) यह आज तारीख ...30/5/18... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

शेष पृष्ठ पर अंकित है।

(हस्ताक्षर)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन

पदेन सहायक कलक्टर बरेठ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के निर्वाह व्यय	
5. सक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner

अनवाद. 117 रा.

गोपाल S/o श्री सुवालाल कुमावत नि० रामपुरी/प्रार्थी/वादी

बनाम

① - सुवालाल S/o टोमेर कुमावत नि० रामपुरीया त० करेड़ा
② - कमला D/o श्री सुवालाल कुमावत नि० रामपुरीया
③ कैलाशी D/o सुवालाल कुमावत नि० रामपुरीया
④ शान्ता D/o सुवालाल कुमावत —"—
⑤ किशन S/o सुवालाल कुमावत —"—
⑥ - सीता D/o सुवालाल कुमावत —"—
⑦ राज० राज्य जरिये तहसीलदार (भू०) करेड़ा
⑧ - रा० राज्य जरिये उपपंजीयक महो० उपपंजीयक कार्यालय करेड़ा त० करेड़ा

—प्रतिवादीगण।

—x—x—x—

इसी प्रकार आ०नं० 318/2, 694, 702, 704/1, 1036/195 एवं 1037/701 कुल कित्ता - 06 रकबा 5.08 हैक्टे. भूमी जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी सं० 1 के नाम तन्हा दर्ज रेकार्ड है के साथ-साथ वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 लगायत 06 (वादी सहित) प्रत्येक का 1/7-1/7 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश होने से, अमलदरामद करें।

(हस्ताक्षर)
उपखंड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner